न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 41/2017

GCMS No-2017/00289

प्रार्थीः— बनाम अप्रार्थीगण :—

श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

1. पुनाराम पुत्र पोमाजी जाति चौधरी (मालिक) मैसर्स चौधरी भीमाराम पुनाराम मैन बाजार रानी जिला पाली
2. मुन्नालाल राठौड़ पुत्र पुखराज राठौड़ मैसर्स शाह पुखराज सुरेश कुमार मैन बाजार रानी जिला पाली
3. मैसर्स सेठ सांवरिया फुड प्रोडक्ट्स महालक्ष्मी नगर राजगढ़ रोड़ सराधना अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सौरभ पारख अधिवक्ता

—: निर्णय :—

दिनांक 20-1-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 19.9.2016 को दौराने गश्त मैसर्स चौधरी भीमाराम पुनाराम मैन बाजार रानी पर पहुचा वहां पर अप्रार्थी पुनाराम चौधरी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर रिफाइण्ड पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) के 4 कार्टून आमजन को बिक्री के लिए रखे हुए थे, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखे हुए पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) मे से चार मूल पैकेट पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 200/—रूपये नकद विक्रेता को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार नमूना पैकेट तैयार करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–577 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर नमूना खरीद का बिल क्रमांक 610 दिनांक 18.9.2016 की प्रति पेश की। अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिये गये नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक 20.9.2016 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/1169/एक्ट/2016/1198 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिये गये पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) का नमुना क्रमांक आर–577 Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food and Standard Act-2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Misbranded पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था जिसके संबध में अप्रार्थी को जानकारी नही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को मनगंढत व निराधार बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पॉम ऑयल का उत्पादन नही करता है। पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) जिस अवस्था में खरीद की जाती है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय करता है तथा उसमें किसी प्रकार की मिलावट या मिथ्याछाप नही करता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध चल रही कार्यवाही को ड्रोप करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पुनाराम चौधरी की दुकान मैसर्स चौधरी भीमाराम पुनाराम मैन बाजार रानी जिला पाली से नमुना क्रमांक आर–577 पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.9.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1169/एक्ट/2016/1198 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–577 को Mis Branded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ पॉम ऑयल (ब्राण्ड मुरलीधर) Mis Branded का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक पर 20,000/– रूपये व अप्रार्थी संख्या 3 पर 50,000/– रूपये अक्षरे कुल नब्बे हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-1-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली